—१९६—

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक एफ 2–19/2006/1/6 रायपुर दिनांक 27 जुलाई, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ लोक अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों का समुचित अध्ययन न किये जाने के कारण अधिनियम का प्रभावी रुप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु विभागीय सचिव इस पर व्यक्तिगत ध्यान दें तथा सभी अधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का बार–बार अध्ययन करने के साथ ही निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायः–

1. विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को ही जनसूचना अधिकारी नामांकित किया जाय। जन सूचना अधिकारी के अवकाश या अन्य कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में लिंक अधिकारी का बन्दोबस्त किया जाय।
2. विभाग के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों (एन.जी.ओ.सहित) की जानकारी सचिव स्तर से एकजाई कर सा0प्र0 विभाग को समयावधि में भेजी जाय।
3. सूचना आयोग से केवल सचिव स्तर से ही पत्राचार किया जाय। निचले स्तरों से पत्र व्यवहार/मार्गदर्शन आदि सूचना आयोग से नही किया जाये।
4. सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार से संबंधित पूर्ण जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे। अब तक यदि यह न किया गया है तो अगले 15 दिनों में कर लिए जाए।
5. नियत समयावधि के पश्चात् जानकारी निःशुल्क दी जाना होती है इससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार आता है। अतः इस पर होने वाला व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु कार्यवाही की जाय । यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग, सूचना आयोग द्वारा, न्यायोचित पाई जाती है तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाए तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्यवाही करे।

..............2

6. कार्यालयीन रिकार्ड व्यवस्थित रखा जाय, ताकि अभिलेख ढूंढने में अनावश्यक विलंब न हो एवं निर्धारित अवधि में जानकारी दी जा सके ।
7. स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख छत्तीसगढ राज्य की वेबसाइट पर अद्यतन रखी जाय तथा जिन विभागों द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदर्शित नही की गई है उसे शीघ्र प्रदर्शित किया जाए ।
8. कार्यालयीन अभिलेख के विनिष्टीकरण का समय तथा विनिष्ट किये गये अभिलेखों की जानकारी भी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाय ताकि आवेदकों को ऐसी जानकारियां मांगने हेतु अनावश्यक कठिनाई न हो।
9. प्रथम अपील में आवेदक को सुनवाई हेतु अनिवार्य रुप से बुलाया जाय आवश्यक होने पर उसे नियमानुसार विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का समयावधि (30 दिन के भीतर) में निपटारा स्पष्ट कारण बताते हुए (स्पीकिंग आर्डर) किया जाय। अपीलीय अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है,परन्तु दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. सभी कलेक्टरों की जानकारी सचिव राजस्व विभाग के माध्यम से आएगी। जानकारी के प्रपत्र अलग से प्रसारित किए जायेंगे।
11. अधिनियम के तहत ली जाने वाली फीस/शुल्क के साधन का गहन प्रचार–प्रसार किया जाय।
12. कार्यालयीन बजट में डाक व्यय,स्टेशनरी व्यय एवं सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशानुसार क्षति–पूर्ति दावों (डिक्रीधन) आदि के भुगतान के साथ–साथ अमले की कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान कराया जाये।
13. पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में पर्याप्त रुप से प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया जावे, ताकि प्रत्येक आम जनता को इसकी जानकारी हो।
14. प्रभारी सचिव द्वारा जिले के दौरे के समय एवं विभागीय बैठकों में सूचना का अधिकार के कियान्वयन की समीक्षा नियमित रुप से की जाय।
15. आवेदक को उपलब्ध कराई गई सूचना, आयोग को पृष्ठांकित नहीं की जाए।
16. सूचना आयोग को भेजे जाने वाले पत्र आदि सचिव,छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को संबोधित किये जावें।

(व्ही.के.राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

कमांक एफ 2–19/2006/1/6 रायपुर दिनॉक 27 जुलाई, 2006

प्रतिलिमिः–

1 सचिव,सूचना आयोग निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,शंकर नगर रायपुर,

2 महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव,राजभवन,रायपुर

3. सचिव,छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,रायपुर

4. रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

5. सचिव,मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर

6. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव,मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण

7. मुख्यसचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर

8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय रायपुर

9. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली

10. सचिव,छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,

11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय,रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग